

RRN No. 2022

14-12-2011

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 18(1)साप्र / 2 / 11 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 05.12.2011

—: आदेश :—

श्रीमती सुमन पंवार, कनिष्ठ लिपिक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 06/09 एवं सेवानिवृति दिनांक 30.11.2036 के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर पूर्व में इस विभाग के आदेश दिनांक 23.3.09 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/68 गाँधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 5/61 गाँधीनगर, जयपुर उनके निवास हेतु पूर्व शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है।

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
4. मुख्यलेखाधिकारी / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकाँम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशासी अभियन्ता, सांनिविंगो / जन स्वास्थ्य अभियोगी / जयपुर विविंगिम लिंगो, गाँधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कार्मिक को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व में आवंटित आवास तत्काल रिक्त करने का श्रम करें।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

RRHO. 2021

14-12-2011

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (भुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 18(1)साप्र / 2/11 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 05.12.11

—: आदेश :—

श्रीमती एंजलीना मैसी, कनिष्ठ लिपिक, पनुर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, परिसर, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता संख्या 06/2006 व सेवा निवृत्ति दिनांक 28.2.2045 के आधार पर नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या 5/बी/3 गौंधी नगर, जयपुर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :—

शर्त :—

- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/ बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / कर करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञाय हो तो रोक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :—
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरत्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/ कर नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
- श्रीमती एंजलीना मैसी के वेतन से कॉमन संविधा शुल्क के पेटे राशि ₹ 0.75/- प्रतिमाह वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

आज्ञा से,

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- जिला कलक्टर, जयपुर। 2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
- प्रभारी अधिकारी, पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र, सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर, जयपुर।
- क्षेत्राधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, साठनिविं/जन रवां अभिविं/जयपुर विविंनिगम लिंग, गौंधीनगर नगर, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारी।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव